MBBS, MD Degree holders are does not have eligibility to write 'Doctor'. Only Ph.D stripe is authorised to prefix 'Doctor'.

...RTI clarification of Ayush University. Article published in 'Nayee Duniya' dt. 12-06-2017.



प्रत्योज कर विकासी की तर 33 जीतकात तक feet म में 3 साल में 56 करोड़ पालांकी करन बह स कि है. जिसा जी क्षेत्र ने रहले बाजार में 33 करोड़ काम क्षेत्र है.

अधिकान में गोपान में तहन कर रणता कर रखी हुई भी लाकि अवस जनता करी स्वयन भेगा. देने बाल्ते या उन्ते का जिल्हार व हो जार अब रेंग को कई कप्रविधा सकी उपकरण अध्याह कारने के साम भी विकार के बाद महत्त्वान करने करें होता होक अधिक हो है की व्यक्ति अब ता है अब आणामी सार्गियों में सरकार हान दिशा में कहा। ने की को बाद्यार हो।

the title at the title title CHARL DRAFTS WITHOUT IT SHE'S streft cecurer wit a croff with Courtes ofte qui exemp in min face on the world on Printer. cress over from the porce of server represent 400 to office. the water by deman super file offen qu' mit mos short. county trees from supply over more the god fremmen and follow, old bestern told attention erefturg it eragine febr en & वानीज बर्बरज सदी चंदला में लोगी के the resid measure for marries Shifter frente au forante unter et वर्ती हैं, अक्षेत्रे सरकार कोई सकते का जाम नहीं कर की है.

NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE OWNER, T strong to obstanting to the own me

we never as form & offer the effective covered to of the section when the section of the

विपक्ष के आरोप से हुआ आ

ster in fight it species found safest in time ster of the expensive time in order to save it were taken that or next were united to the own in spice of marks an we have may also some house, who would a street, wh अक्टान्त की आक्रान्त की तीन कार 1970 में क्षेत्रका कर हैता शर्मवर्तक संस्थानी को हो हम वर्षकार के दात formation of R. service is not some with come manual personnel all animal in officers so loan of them व्यक्तियानिक राज्याओं के निकास कुछ की जीन कार करें और उसके सदस्यों को जिल्ला तम सम्बद्ध दन कर स्थित महा रतका क्या है, इसके तर मीर्थ-देश करने करने अवीर्ष के लग्निकल के पहले हैं.

MBBS, MD नहीं लिख सकते नाम के आगे डाक्टर

एजी स्हरतं रायपुर. एमबोबीएस, एमडी/एमएस समेत आयुर्वेद, होमियोपैधी डिग्रीधारी शह्म अपने नाम के आगे 'डाक्टर लिखते हैं, लेकिन क्या इन्हें 'डाक्टर' िमधने की पात्रता है. ऐसा कोई नियम भी है ? आयुष विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार में जो जवाब दिया है, वह 8. एमबीबीएस, एमडी/एमएस डिग्रीधारियों के पंजीयन करने वाली संस्था मेडिकल काउँसिल आफ इंडिया (एमसीआई), बीडीएस, एमडीएस डाक्टरों के पंजीयन की संस्था काडसिल (डीसीआई) और बीएएमएस डिग्रीधारियों के पंजीयन की संस्था सीसीआईएम के नियमों में भी 'डाक्टर' लिखे जाने का कि नहीं है. तो सवाल यह है कि सब नियम विरुद्ध ही लिख रहे हैं ? देशाभर में म असे लेकर सूपी से बहुस चल स्त्री है।

विवि ने स्पष्ट कहा है कि वे डाक्टर' लिखकर किसी भी छात्र को डिग्रिया नहीं बांटते. नियम में कहीं 'डाक्टर' का उल्लेख नहीं है. विवि ग्रेज्एट और पौस्ट वैज्एट की डिग्निया देता है. नियमानुसार सिर्फ पीएचडी धारी ही 'डाक्टर' लिखने के लिए अधिकृत हैं. रायपुर समेत पूर राज्य यहां तक कि देशभर के सभी मेडिकल कालेजों से एमबोबीएस पास-आउट होने के बाद इंटनीशप के पहले ही छात्र नाम के आग 'डाक्टर' लिखना शुरू कर देते हैं यह सिर्फ बलन में है. दस्तावेजी प्रमाण नहीं है

का RTI त वहत चाकार वांला जवार

TELDE

इसे लेकर हमेशा से ही अब की FUNDER BED FOR विश्वति हते हैं, मैं तो यह कवता हूं कि आज फिजियोपीयो और अन्य पाइन्क्रम याने भी डाक्टर विवयन लगे हैं, ऐसे में कौन किस चील का हास्टर है, यह स्पष्ट की नहीं होता. कायदे से डाक्टर न लिखकर, नाम के पीछं दिशी का उल्लेख करना

-डा. महंश सिन्हा, अध्यक्ष आईएमार गुक्स इन्हाई

 त्रिवि नियमों में कहीं ग्रस्लेख पनीरमे नहीं है और न ही विवि किसी प्रेमुएट, पोस्ट प्रेजुएट छात्र को डाक्टर लिखकर हिंग्री देते हैं, सिकं पीएचडी होल्डर ही डाक्टर लिख सकते हैं, यह गलत तो है ही लेकिन चलन में आ गया है.

-प्रो, केएल तिवारी, राज्या आयुष विश्ववद्यालय

लेकन इल कुछ भी नहीं निकला,



Abstract of the article published in Nayee Duniya (Raipur) dt. 12-06-2017.

MBBS, MD & MS Degree holders are does not have eligibility to write 'Doctor'.

Ayush University has clarified under RTI Act that MBBS, MD & MS Degree holders are not eligible to prefix word 'Dr.'. According to rules only Ph.D stripe is authorized to write 'Doctor'. It is just in practice and only it is a matter of <u>tradition & convention /usage having no documentary evidence</u>.

University has clearly stated that there is no valid evidence or record available in different Councils who are issuing Registration Certificates to qualified students viz. Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), Central Council of Indian Medicine (CCIM) & Central Council of Research of Homoeopathy (CCRH). Hence, there is no such rule to prefix word Doctor.